Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022 (ASVINA 26, 1944 SAKA)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांकः 15 अक्टूबर, 2022

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खण्ड–I:– यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः निर्वाचन आयोग ने **दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./73/2022 के तहत घोषित महाराष्ट्र के 166–अन्धेरी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 178–मोकामा एवं 101–गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के 47–आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 93–मुनुगोडे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 139–गोला गोकरननाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और ओडिशा के 46–धामनगर (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **दिनांक 07–10–2022 को अधिसूचित महाराष्ट्र के 166–अन्धेरी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 178–मोकामा एवं 101–गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के 47–आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 93–मुनुगोडे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 139–गोला गोकरननाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और ओडिशा के 46–धामनगर(अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता हैं, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा–विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने+ और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्द्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

एस.बी.जोशी
प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated : 15th October, 2022

DIRECTION

No.576/3/EVM/2022/SDR-Vol-II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current bye-elections in 166-Andheri East Assembly Constituency of Maharashtra, 178-Mokama & 101-Gopalganj Assembly Constituencies of Bihar, 47-Adampur Assembly Constituency of Haryana, 93-Munugode Assembly Constituency of Telangana, 139-Gola Gokrannath Assembly Constituency of Uttar Pradesh and 46-Dhamnagar (SC) Assembly Constituency of Odisha. announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/73/2022 dated 3rd October, 2022** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll inabove said Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **current bye-elections in 166-Andheri East Assembly Constituency of Maharashtra, 178-Mokama & 101-Gopalganj Assembly Constituencies of Bihar, 47-Adampur Assembly Constituency of Haryana, 93-Munugode Assembly Constituency of Telangana, 139-Gola Gokrannath Assembly Constituency of Uttar Pradesh and 46-Dhamnagar (SC) Assembly Constituency of Odisha. notified on 07.10.2022,** as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies.

By Order,

S.B.JOSHI
PR. SECRETARY

9932—C.S.—H.G.P. Pkl.